FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

शायरा वगै0 बनाम यासीनखां वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. एवं सन 20/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
16-02-23	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। वादगत रकबे से संबंधित अन्य न्यायालय व पुलिस थाना में मुकदमेबाजी संबंधी दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध है एवं संलग्न पटवारी रिपोर्ट में भी वादिया का कब्जा दर्शाया गया है इसलिए न्यायालय को पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में हक हिस्सों का निर्धारण मैरिट पर सुना जाकर तय होना है और मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 9 केएलडी बी के मु0नं0 218/38 की के किला नं0 3 ता 5, 9, 10 की 4.18 बीघा व मु0नं0 218/46 के किला नं0 1 ता 9, 12, 13 की 11.00 बीघा इसप्रकार कुल तादादी 15.18 बीघा क0/अ0क0 भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक वादगत भूमि में मौका–रिकॉर्ड यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	